समेत अन्य सेवा देंगे। के पास सरिता बेहोश हो गई है। तब करंट लगा दिया था। कारण इस कोटा थाने भेजा गया।

सुनवाई

दुष्कर्म के आरोपित अफसर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की रखी थी मांग

इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच निजता के अधिकार का हनन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने एक याचिका की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के आरोप झेल रहे एक फूड अफसर की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि दुष्कर्म पीड़िता के इंटरनेट मीडिया अकाउंटों की जांच करने की अनुमति देना पीड़िता की निजता का उल्लंघन होगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस वर्मा ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए फूड अफसर की याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट में यह मांग रखी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील पेश की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने यह मांग करते हुए कहा था कि दुष्कर्म पीड़िता के इंटरनेट मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच के जरिए उन दोनों की अंतरंगता का पता लगाया जा सकता है। साथ ही दुष्कर्म के आरोप को गलत ठहराते हुए इसे आपसी सहमति का मामला बताया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता के इंटरनेट मीडिया अकाउंटों की जांच की मांग से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोपनीयता से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने आरोपित पक्ष के ऐसे अनुरोध को खारिज कर दिया।

प्रामाणिकता को सत्यापित करने मांगी थी अनुमति

मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता ने विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की उपस्थिति में पीड़िता के फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों को खोलने की अनुमति मांगी, ताकि कुछ तस्वीरों की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके, जिनसे पीड़िता ने जुड़े होने से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि उन्हें एडिट किया गया था और उसके इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल से प्राप्त किया गया था।

यह है मामला

पीड़िता जिला पंचायत सदस्य के पद पर कार्यरत थी और याचिकाकर्ता खाद्य निरीक्षक था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वे अपने काम के सिलसिले में एक-दूसरे से मिलते रहे। इसी बीच धीरे-धीरे उनके बीच घनिष्ठता हो गई। तकरीबन 18-19 महीने बाद पीड़िता को पता चला कि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। जब पीड़िता ने खाद्य निरीक्षक से इस तथ्य को छिपाने के बारे में पूछा, तो बहस शुरू हो गई जिसके कारण उनका रिश्ता टूट गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता ने बाद में अपने दोस्त के फोन नंबर का उपयोग करके उससे संपर्क किया और उसके अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बाद जब याचिकाकर्ता से मुलाकात हुई तब याचिकाकर्ता ने पीड़ित को अपनी गाड़ी में बैठाया और एक लाज में ले गया। पीड़िता ने याचिकाकर्ता के फोन से चार-पांच अश्लील वीडियो डिलीट कर दिया। पीड़िता ने शिकायत की कि वह उसे जबरन ले गया, जहां उसने उसके हाथ-पैर बांधकर रखा और अगले दिन तक उसे बंधक बनाकर ब्लैकमेल किया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। बाद में, अन्य लोगों के साथ मिलकर वाहन में ले जाकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

हाई कोर्ट ने कहा- बिना अनुमति बातचीत रिकार्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह बात परिवार न्यायालय के एक फैसले को रद करते हुए कही है। दरअसल, तलाकशुदा एक महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन किया था, जिस पर पति ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई। उसने कोर्ट से पत्नी की बातचीत रिकार्ड करने और उसे बतौर साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी थी। परिवार न्यायालय ने उसे इसकी अनुमति दे दी। परिवार न्यायालय के इस आदेश को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का है। याचिकाकर्ता 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला है। उसने 2019 में अधिवक्ता के माध्यम से परिवार न्यायालय में मामला दायर कर पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए गुहार लगाई थी। 21 अक्टूबर 2021 को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान 44 वर्षीय पति ने महिला के चरित्र पर उंगली उठाई और उसे व्यभिचारी बताया और तर्क दिया कि ऐसे में उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है।

हाई कोर्ट में 12 मई से ग्रीष्मकालीन अवका

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना, अवकाशकालीन बेंच में सुन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने एक आदेश जारी कर हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। हाई कोर्ट में 12 मई सोमवार से छह जून शुक्रवार तक बंद रहेगा। नौ जून सोमवार से हाई कोर्ट खुलेगा और सामान्य दिनों की तरह कामकाज प्रारंभ होगा।

ग्रीष्मावकाश के दौरान विभिन्न कामकाज जारी रहेंगे, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके तहत सभी सिविल, आपराधिक व रिट मामले दायर किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में अवकाशकालीन जज चीफ जस्टिस की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अपने सुनवाई की अवधि को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं। अवकाशकालीन जज सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे। आपातकालीन स्थिति में न्यायालयीन समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकते हैं। यदि समय मिला तो अवकाशकालीन जज खंडपीठ के मामलों के पूरा होने के बाद सिंगल बेंच में सुनवाई करेंगे। ग्रीष्म अवकाश के दौरान रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सु 10:00 बजे से शाम पांच बजे खुली रहेगी।

इन तारीखों में होगी सुनवाई

13, 15, 20, 22, 27 अ 29 मई व तीन और पांच को अवकाशकालीन बेंच मामलों की सुनवाई होगी

ग्रीष्मावकाश में ये मामले किए जाएंगे सूचीबद्ध

सभी नई रिट, सिविल, आपराधिक मामलों के साथ ग्रीष्मावकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। नए और लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ग्रीष्मावकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा। जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग के आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा। अवकाशकालीन जज के समक्ष न पहुंचे मामलों को अग अवकाशकालीन जज के समक्ष ए अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाए सुनवाई के दिन से पहले वाले कार्य दिवस को अपराह्न 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों क उसी बैठक के दिन सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा तथा बैठक के दिन से ठीक पहले वाले दिन वाद सूची प्रकाशित की जाएगी।